न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 120 / 2023

प्रार्थीनी | बनाम | **विप्रार्थीगण**

जमना पुत्री नवाराम जाति मेघवाल
निवासी बोरला तहसील सिणधरी

1. पनाराम पुत्र मलाराम
2. वगताराम पुत्र मलाराम जाति राईका निवासी बोरला तहसील सिणधरी
3. गुमनाराम पुत्र सवाराम जाति कलबी निवासी बोरला तहसील सिणधरी
4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वंय उपस्थित।
3. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार सिणधरी विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 08.08.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्राथीर्नी की खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 5.4931 हैक्टर ग्राम बोरला पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 2 के खेत खसरा संख्या 204 रकबा 12.8307 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 3 के खसरा नम्बर 207/1 रकबा 2.8396 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीनी अपनी खा[illegible] होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स. 1 से 3 की उक्त खसरा [illegible] कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता [illegible] के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा [illegible] रास्ते की प्रार्थी को आ[illegible] आवश्यकता है। अतः प्राथीर्नी ने ग्राम ग्राम बोरला पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 204 व 207/1 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगंण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 03 की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया गया। विप्रार्थी सं. 4 के पैरोकार सरकार उप.। विप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थिनी की चाही गई इस्तदुआ की ताईद की है।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस कि प्राथीर्नी की खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि खसरा संख्या 209 क्षेत्रफल 5.4931 हैक्टर ग्राम बोरला पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील रिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 03 की खसरा संख्या 204 व 207/1 भूमि आये हुए है। प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 03 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है।

4. विप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वयं नें उपस्थित होकर अपने अभिकथनों में जवाब के तथ्यों में व्यक्त किया कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 209 का खेत किसी सड़क मार्ग या वैकल्पिक रास्ते से जुड़ा हुआ नही जिससे प्रार्थी को हम विप्रार्थी सं. 1 से 3 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 204 व 207/1 ग्राम बोरला पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा में प्रस्तावित परिशिष्ट– अ में दर्शित स्थान पर देने हेतु सहमत है। जिसके लिए हम बिना प्रतिफल के गांव के मौजिज व्यक्तियों की समझाईश एवं लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीखुशी से दे रहे है। उक्त प्रस्तावित परिशिष्ट के अनुसार दर्शित भूमि के कब्जा काश्त की भूमि सहखातेदारी की भूमि है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर हम हमारे हिस्से की भूमि में से उक्त प्रस्तावित रास्ता कटाण किया जावे।

5.पैरोकार सरकार ने अपने भी अपनी बहस में दलील करते हुए कथन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से लोकभावना के अनुरूप रास्ता कटाण करवाया जाता है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

6.**हमनें** उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा बोरला पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा की खसरा संख्या 209 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 204 व 207/1 में सें होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। उक्त खेत के सहखातेदार विप्रार्थी सं. 1 से 3 ने अपने जवाब के तथ्यों में उल्लेखित कि है क़ि उनके. हिस्से की भूमि जो कि आपसी सहमति से पक्षकारा[illegible] मध्य [illegible]मी बंटवाड़ा अनुसार कब्जे काश्त की भूमि में से प्रस्तावित परिशिष्ट – अ अनुसा[illegible] हेतु लोकभावना से प्रेरित होकर बिना किसी प्रतिफल के भूमि कटाण किये जाने में सहमति प्रदान की गई है, इससे प्रथमः दृष्टया प्रतीत होता है कि लोकभावना से प्रेरित होकर किये गये राजीनामें के आधार पर खातेदारान के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की भूमि में से कटाण किया जाना न्यायोचित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
रिणधरी

इस प्रकार पक्षकारान के मध्य बिना प्रतिफल के रास्ता कटाण करवाये जाने की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए परिशिष्ट अ अनुसार 3 गट्ठा की चोड़ाई का रास्ता कटाण किया जाना उचित है।

7.लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] पटवार मण्डल [illegible] खेड़ा तहसील सिणधरी की विपार्थी संख्या 01 से 03 के हक हिस्से के कब्जा काश्त की भूमि में से पक्षकारान की आपसी सहमति अनुसार संलग्न परिशिष्ट- अ को दृष्टिगत रखते हुए 3 गट्ठा की चोड़ाई का प्रस्तावित रास्ता कटाण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट- अ को ध्यान में रखते हुए 3 गट्ठा की चोड़ाई के अनुसार लम्बाई की दूरी की गणना करते हुए तदनुसार बनने वाला (कटाण रास्ते के रूप में) रकबा विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी में से कम करते हुए भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी के आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित परिशिष्ट- अ उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 08.08.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:25:36 IST
Reason: SelfAttested